

मिसेर महाराष्ट्र राजस्व/अ 30एल03140
 आवेदन पत्र को संकलन में आने से पूर्व प्रमाणित करना

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना सुचित है/सुचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त विधे ज्ञान की अधिशाया की जाती है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी 16/11/20

क्रमांक राजस्व/2020/

दिनांक -

मूल ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना सुचित है/सुचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त विधे ज्ञान की अधिशाया की जाती है।

1437
17/11/20

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुनू (राज.)
 - आदेश -

दिनांक - 17/11/20

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षो एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसारण में निम्नाविक्त दर्ज प्रविष्टि को निम्नालिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिपोर्ट में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	अ.अ.क.क.	2075-78	165	1147/20 राज. वि. गुढागौडजी	1147/20 राज. वि. गुढागौडजी

नोट :- शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक - 17/11/20

क्रमांक - राजस्व/2020/ 1147-4B
 प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वारतो पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

